न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आपूर्ति अपील वाद संख्या–12/2015

मनोज राम वनाम राज्य

–:: आदेश ::–

15.7.15

प्रस्तुत आपूर्ति अपीलार्थी मनोज राम द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांक 339–2 दिनांक 23.08.2012 के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी का कहना है कि अपीलार्थी ग्राम पंचायत गोलमा पूर्वी के सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली बिक्रेता है। समय पर आवंटन के अनुसार सामग्रियों का उठाव कर लाभुकों के बीच उचित मूल्य पर खाद्यान्न का वितरण करते रहा है। उनके विरूद्ध कभी कोई शिकायत नहीं की गयी। ग्रामीण राजनीति के तहत पंचायत समिति सदस्य अंजू देवी द्वारा अपीलार्थी और जन वितरण प्रणाली बिक्रेता रामविलास पासवान के विरूद्ध अंचलाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पतरघट को आवेदन दाखिल किया गया तथा अपीलार्थी के विरूद्ध जिलाधिकारी के जनता दरबार एवं माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के यहाँ समर्पित आवेदन के आधार पर अनुमण्डल पदाधिकारी, सहरसा द्वारा अंचलाधिकारी, पतरघट को पत्रांक 78–1 दिनांक–07.07.2012 के माध्यम से मामले की जाँच करने हेतु निदेशित किया गया।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पत्रांक 403–2 दिनांक– 14.08.2012 के द्वारा अपीलार्थी को दोषी पाते हुए उसके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञप्ति पदाधिकारी, सहरसा द्वारा बिना कोई कारण–पृच्छा मांगे बिना अपीलार्थी को सुने दिनांक–14.08.2012 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पत्रांक 403–2 के अनुशंसा के आधार पर अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति को अपने ज्ञापांक 339–2 के द्वारा निरस्त कर दिया गया।

उपर्युक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में C.W.J.C. No. 14773/2013 दायर किया एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने याचिका का निष्पादन करते हुए याचिकाकर्त्ता को दिनांक–09.09.2015 को अपील दायर करने का निर्देश दिया एवं बिलम्ब क्षान्त हेतु सहानुभूति पूर्वक विचार करने का न्यायालय द्वारा निदेश दिया (चूँकि मामला उच्च न्यायालय में लंबित) था।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 के धारा–7 के उप नियम (i) (a) (b)(c)(d)(e) एवं (ii) के अधीन निम्न अभ्युक्ति है कि "no order of cancellation shall be made under this clause unless the licensee has been given a reasonable opportunity stating its case against the proposed cancellation" जबकि वर्त्तमान अपील में अपीलार्थी को बिना कारण–पृच्छा के एवं अपनी स्थिति स्पष्ट करने का बिना अवसर प्रदान किये उसके अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया।

15.7.15

अन्ततः अपीलार्थी का कथन है कि उपर्युक्त स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञप्ति पदाधिकारी, सहरसा के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के निरस्त अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित (Restore) करने की याचना की गयी है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न निम्न न्यायालय अभिलेख का अवलोकन किया।

निम्न न्यायालय अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्ध मुख्यमंत्री के जनता दरबार में लगाये गये आरोपों की जाँच कराकर जाँच प्रतिवेदन अनुमण्डल पदाधिकारी, सहरसा द्वारा प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को भेजा गया था तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी से प्राप्त निदेश के आलोक में अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है। अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल C.W.J.C. No.14773/2013 में दिनांक–09.09.2015 को पारित आदेशानुसार प्रस्तुत अपील दाखिल किया गया है। जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 के प्रावधान 7(1)(a) (b) (c) (d) (e) तथा बिहार ट्रेड आर्टिकल आदेश 1984 के नियम–2 जिसके द्वारा जन वितरण प्रणाली बिक्रेता को अवसर देकर सुनने के पश्चात आदेश पारित किया जाना था। अभिलेख पर अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 134–2 दिनांक 11.03.2016 के द्वारा कारणपृच्छा पूछा गया है तथा अंचल अधिकारी–सह–प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–78–1 दिनांक 07.07.2012 में भी उल्लेखित है कि "जाँच के क्रम में दिनांक 29.12.2011, दिनांक 23.01.2012, दिनांक 29.01.2012, दिनांक 09.03.2012 को पहुँचा। किन्तु एक बार भी बिक्रेता द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकान से संबंधित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया । दिनांक 15.05.2012 एवं दिनांक 27.05.2012 को गोलमा पूर्वी पंचायत के वार्ड संख्या 13,14 एवं 15 के लाभुकों से सम्पर्क स्थापित करने पर मामला प्रकाश में आया कि वार्ड संख्या 14 एवं 15 के लाभुकों को जून, जुलाई, 2011 तथा दिसम्बर, 2011 से मई, 2012 तक का खाद्यान्न डीलर द्वारा अप्राप्त है तथा वार्ड संख्या–13 के लाभुकों को दिसम्बर, 2011 से मई 2012 तक का कूपन प्रस्तुत किया गया जिसका आपूर्ति डीलर द्वारा नहीं किया गया। साक्ष्य संलग्न।

जाँच के क्रम में यह भी बिन्दू प्रकाश में आया कि माह जून 2009 से दिसम्बर 2009 तक का कोई भी कूपन वार्ड संख्या 13, 14 एवं 15 के लाभुकों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि माह जून 2009 से दिसम्बर 2009 तक का खाद्यान्न लाभुक द्वारा प्राप्त कर लिया गया है किन्तु जन वितरण प्रणाली बिक्रेता द्वारा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने के कारण सत्यापन नहीं हो सका।" जबकि उनके पत्रांक 505–2 दिनांक 27.12.2011 को वार्डवार प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश संबंधित जनविरण प्रणाली बिक्रेता को दिया गया था।

अतः स्पष्ट है कि अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली बिक्रेता को पर्याप्त मौका दिया गया था। अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। मूल अभिलेख अनुमण्डल कार्यालय, सहरसा को भेजें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

6.2.17

समाहर्त्ता,
सहरसा।

10/2/17

समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक.....1110-2/ विधि, सहरसा, दिनांक–27-07-2017

प्रतिलिपि– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
27.07.017